रजिस्ट्री सं० डी (डीएन)—128/91

REGISTERED NO. D—(DN)—128/91

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 2, 1991 (फाल्गुन 11, 1912)

No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 2, 1991 (PHALGUNA 11, 1912)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ

भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं 223

भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . 245

भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . *

भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . . 259

भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम *

भाग II—खण्ड 1—क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ *

भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . *

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) . . *

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . . *

पृष्ठ

भाग II—खण्ड—3—उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) *

भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश . *

भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . . 199

भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस . 263

भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 1

भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . . 377

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस . . 27

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक . . *

*आंकड़ शून्य नहीं।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolution issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	223
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	245
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . .	1
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	259
PART II SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i) General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii) Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) . .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	199
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . . .	263
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	1
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	377
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private individuals and Private Bodies .	27
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी 1991

सं० 25-प्रैज/91—राष्ट्रपति सहर्ष निदेश देते हैं कि इस सचिवालय की 27 जनवरी 1967 की अधिसूचना संख्या 31-प्रैज/67 में उल्लिखित "परम विशिष्ट सेवा मेडल", 'अति विशिष्ट सेवा मेडल", और "विशिष्ट सेवा मेडल" शीर्षकों के अन्तर्गत आने वाले सप्तम खण्ड में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा :—

"आरक्षित बल (अंगीभूत होने पर)" शब्दों के बाद "सामान्य आरक्षित इंजीनियर बल" जोड़ें।

दिनांक 15 फरवरी 1991

सं० 18-प्रैज/91—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री नौनिहाल सिंह (मरणोपरान्त)
कान्सटेबल सं० 791120043,
41वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 11 जून, 1989 को कोटबद्ध पुलिस चौकी के प्रभारी ने ट्रैक्टर पर सवार दो आतंकवादियों का पीछा किया। पट्टी रेलवे क्रासिंग पर आतंकवादियों ने पुलिस दल पर गोलियां चलाई तथा पुलिस दल ने भी जवाब में गोलियां चलाई। आतंकवादियों ने ट्रैक्टर को छोड़ दिया और बुसलेवाल गांव की ओर भाग गए। आतंकवादियों द्वारा गांव की ओर भाग जाना इस बात की ओर इशारा करता था कि वे पट्टी की पश्चिमी ओर 50 एकड़ के घने बागों में जाकर गायब हो जाना चाहते थे। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 41वीं बटालियन के उप-निरीक्षक के नेतृत्व में एक दल (कान्सटेबल नौनिहाल सिंह सहित) एक वाहन में सवार होकर आतंकवादियों को पकड़ने के लिए गया। रास्ते में कान्सटेबल नौनिहाल सिंह वाहन से उतर गए और आतंकवादियों से निपटने के लिए पैदल पीछा कर रहे दल में शामिल हो गए। पी० टी० अनुदेशक होने के नाते जल्द ही वे भाग रहे आतंकवादियों के नजदीक पहुंच गए। आतंकवादियों ने फसलों, बाग और फार्म हाउस की आड़ में भागते हुए पुलिस दल पर गोलियां चलाना जारी रखा। कान्सटेबल नौनिहाल सिंह ने अपनी निजी सुरक्षा की चिन्ता किए बिना दृढ़ निश्चय के साथ गोलियां चलाई और उनके भाग निकलने के रास्ते को बंद कर दिया। उन पर कई बार भारी गोलीबारी की गई परन्तु उनके भाग निकलने के लिए किए गए प्रत्येक प्रयत्न को उन्होंने विफल कर दिया।

इस दौरान आतंकवादी एक ज्वार के खेत में घुस गए। जब वे खेत में छुपे हुए थे तो उन्होंने कान्सटेबल नौनिहाल सिंह पर भारी गोलीबारी की। तथापि, उन्होंने गोलीबारी का जवाब गोली चला कर दिया और सतर्क होकर निगरानी करते हुए अपने दल को ज्वार के खेत को घेर लेने का संकेत दिया। आतंकवादियों ने फसल की आड़ में पास से गुजरते हुए तिपहिए वाहन का अपहरण किया और टक्कर कौड़ा गांव की ओर भाग गए। कान्सटेबल नौनिहाल सिंह ने अपने दल के सदस्यों को पीछे छोड़ते हुए आतंकवादियों का पीछा किया और तिपहिए वाहन पर गोलियां भी चलाई। जब तिपहिया वाहन तेज रफ्तार से जा रहा था तो एक मोड़ पर उल्ट गया। इस प्रक्रिया में एक आतंकवादी की ए० के० 47 राईफल तिपहिए के नीचे गिर गई। दो आतंकवादियों ने मोर्चा संभाला और नौनिहाल सिंह पर गोलियां चलाई, परन्तु श्री नौनिहाल सिंह एक चट्टान की तरह डटे रहे और तिपहिए वाहन के नीचे ए० के० 47 राईफल को बाहर निकालने के उनके सभी प्रयासों को अकेले ही नाकाम करते रहे।

इस बात का अनुमान लगाते हुए कि कुमुक आती ही होगी और नौनिहाल सिंह किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार थे, आतंकवादी घनी बस्ती में भागा गए। श्री नौनिहाल सिंह ने उनका पीछा किया। दीवार के पीछे छुपे हुए एक आतंकवादी ने कान्सटेबल पर गोली चलाई और वे कमर में घाव लगने के कारण घायल हो गए। घायल होने के बावजूद वे आतंकवादियों पर अचूक निशाना लगाते रहे अन्यथा वे उनको मार डालते और उनकी राईफल उठा ले जाते। इस बीच घटना स्थल पर कुमुक पहुंच गई और कान्सटेबल नौनिहाल सिंह को पट्टी के अस्पताल ले जाया गया जहां घावों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कान्सटेबल नौनिहाल सिंह को घायल करने के बाद आतंकवादी एक वाहन में भिखीविंड की ओर भाग गए।

इस मुठभेड़ में श्री नौनिहाल सिंह, कान्सटेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 11 जून 1989 से दिया जाएगा।

सं० 19-प्रैज 91—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री राम अवतार (मरणोपरान्त)
निरीक्षक सं० 600101383,
19वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

27 अगस्त, 1988 को निरीक्षक राम अवतार को पट्टी सैक्टर की सभी चौकियों की रात्रि जांच करने के लिए लगाया था। 15 कार्मिकों वाली दो टुकड़ियों सहित वे दो वाहनों में छापा मारने की ड्यूटी के लिए रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी तथा टूट स्थित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की चौकी से इसकी पुष्टि करने के बाद वाहनों की रोशनी बन्द करके वे चान वाक ग्राम के लिए गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने ग्राम नम्बरदार से सम्पर्क किया। उसने सूचित किया कि 3-4 आतंकवादी भूतपूर्व सरपंच मेजा सिंह के घर पर आराम कर रहे हैं। निरीक्षक राम अवतार ने घर पर छापा मारने तथा आतंकवादियों को पकड़ने का तुरन्त निर्णय लिया।

निरीक्षक राम अवतार ने स्थिति का जायजा लिया और आगे की कार्रवाई की योजना बनाई। उन्होंने एक टुकड़ी को घर की घेराबन्दी करने का निदेश दिया और हैड कान्सटेबल, राजदेव सिंह, नायक महावीर सिंह तथा कान्सटेबल सी० यल्ला नागा राजु सहित वे स्वयं पिछले दरवाजे से घर में घुसे । घर में प्रवेश करने पर उन्होंने चार आतंकवादियों को चारपाई पर बैठे देखा । निरीक्षक राम अवतार ने उन्हें अपने हाथ खड़े करने के लिए ललकारा और अपनी पहचान बताने को कहा परन्तु आतंकवादियों ने भागने की कोशिश करने के लिए अपने स्वचालित हथियारों से पुलिस दल पर गोलियां चलानी शुरू कर दी । गोलियों की बौछार में से एक गोली श्री राम अवतार की छाती में जाकर लगी, परन्तु बुलट प्रूफ जैकिट पहने हुए होने के कारण वे घायल होने से बच गए । श्री राम अवतार ने आतंकवादियों पर तुरन्त गोली चलाई और एक आतंकवादी घटनास्थल पर ही मारा गया । शेष आतंकवादियों ने गोली बारी जारी रखी और गोलियों की दूसरी बौछार से श्री राम अवतार सिंह के शरीर के ऊपरी भाग पर गले में लग गई जिसके परिणामस्वरूप वे घटनास्थल पर ही वीरगति को प्राप्त हुए ।

हैड कान्सटेबल राजदेव सिंह ने तुरन्त कार्य सम्भाला और उन्होंने श्री महावीर सिंह, नायक तथा सी० यल्ला नागा राजु, कान्सटेबल सहित आतंकवादियों पर गोली चलाई जिन्होंने भागना शुरू कर दिया । श्री राजदेव सिंह तथा श्री सी० यल्ला नागा राजू सहित तुरन्त घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचे और नायक महावीर सिंह ने पिछले प्रवेश द्वार पर मोर्चा संभाला। एक आतंकवादी जिसने मुख्य प्रवेश द्वार से भागने की कोशिश की थी, श्री राजदेव सिंह तथा सी० यल्ला नागा राजू द्वारा गोली चलाए जाने से मारा गया । दूसरे आतंकवादी जिसने पीछे की ओर से बचकर भागने की कोशिश की थी, नायक महावीर सिंह द्वारा गोली चलाए जाने से मारा गया । परन्तु एक आतंकवादी बचकर भागने में सफल हो गया ।

इस मुठभेड़ में श्री राम अवतार, निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 27 अगस्त, 1988 से दिया जाएगा :

सं० 20-प्रेज 91—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री राजदेव सिंह,
हैड कान्सटेबल सं० 610111933,
19वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री महावीर सिंह,
नायक, सं० 690512089,
19वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री सी० यल्ला नागा राजू,
कान्सटेबल सं० 850770616,
19वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 27 अगस्त, 1988 को निरीक्षक राम अवतार को पट्टी सैक्टर की सभी चौकियों की रात्रि जांच करने के लिए लगाया गया था । 15 कार्मिकों वाली दो टुकड़ियों सहित वे दो वाहनों में छापा मारने की ड्यूटी के लिए रवाना हुए । रास्ते में उन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी तथा दूरभाष केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की चौकी से इसकी पुष्टि करने के बाद वाहनों की रोशनी बन्द करके वे जात थाक ग्राम के लिए गए । वहां पहुंचने पर उन्होंने ग्राम नम्बरदार से सम्पर्क किया । उसने सूचित किया कि 3-4 आतंकवादी भूतपूर्व सरपंच मेजा सिंह के घर पर आराम कर रहे हैं । निरीक्षक राम अवतार ने घर पर छापा मारने तथा आतंकवादियों को पकड़ने का तुरन्त निर्णय लिया ।

निरीक्षक राम अवतार ने स्थिति का जायजा लिया और आगे की कार्रवाई की योजना बनाई । उन्होंने एक टुकड़ी को घर की घेराबन्दी करने का निदेश दिया और हैड कान्सटेबल, राजदेव सिंह, नायक महावीर सिंह तथा कान्सटेबल सी० येल्ला नागा राजू सहित वे स्वयं पिछले दरवाजे से घर में घुसे । घर में प्रवेश करने पर उन्होंने चार आतंकवादियों को चारपाई पर बैठे देखा । निरीक्षक राम अवतार ने उन्हें अपने हाथ खड़े करने के लिए ललकारा और अपनी पहचान बताने को कहा । परन्तु आतंकवादियों ने भागने की कोशिश करने के लिए अपने स्वचालित हथियारों से पुलिस दल पर गोलियां चलानी शुरू कर दी । गोलियों की बौछार में से एक गोली श्री राम अवतार, निरीक्षक की छाती में जाकर लगी, परन्तु बुलेट प्रूफ जैकट पहने हुए होने के कारण वे घायल होने से बच गए । श्री राम अवतार ने आतंकवादियों पर तुरन्त गोली चलाई और एक आतंकवादी घटनास्थल पर ही मारा गया । शेष आतंकवादियों ने गोली-बारी जारी रखी और गोलियों की दूसरी बौछार से श्री राम अवतार सिंह के शरीर के ऊपरी भाग पर गले में लग गई जिसके परिणामस्वरूप वे घटनास्थल पर ही वीरगति को प्राप्त हो गए ।

हैड कान्सटेबल राजदेव सिंह ने तुरन्त कार्य संभाला और उन्होंने श्री महावीर सिंह, नायक तथा सी येल्ला नागा राजु, कान्सटेबल सहित आतंकवादियों पर गोली चलाई जिन्होंने भागना शुरू कर दिया । श्री राजदेव सिंह तथा श्री सी० येल्ला नागा राजु तुरन्त घर के मुख्य द्वार पर पहुंचे और नायक महावीर सिंह ने पिछले प्रवेश द्वार पर मोर्चा सम्भाला। एक आतंकवादी जिसने मुख्य द्वार से भागने की कोशिश की थी, श्री राजदेव सिंह तथा श्री सी० येल्ला नागा राजू द्वारा गोली चलाए जाने से मारा गया । दूसरा आतंकवादी जिसने पीछे की ओर से बचकर भागने की कोशिश की थी, नायक महावीर सिंह द्वारा गोली चलाये जाने से मारा गया । परन्तु एक आतंकवादी बचकर भागने में सफल हो गया ।

इस मुठभेड़ में श्री राजदेव सिंह, हैड कान्सटेबल, श्री महावीर सिंह, नायक और श्री सी० येल्लानागा राजू कान्सटेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली, के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 27 अगस्त, 1988 से दिया जाएगा ।

सं० 21-प्रेज-91—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री टी० एस० भाऊ
उप-निरीक्षक नं० 625551888,
38वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 12 जुलाई, 1989 को जांच अभियान के दौरान दल के कमान्डर उप निरीक्षक टी० एस० भाऊ को खेम करन के सैक्टर हैडक्वार्टर की ओर सड़क पर एकान्त स्थान पर स्थित एक फार्म हाउस से गलत कार्य

हलन का संदेह हुआ । जांच करने पर पांच से छः आतंकवादियों को खेत की ओर घूमते हुए देखा गया । ललकारे जाने पर संदिग्ध व्यक्तियों ने गोली चलाकर जवाब दिया जिसका उत्तर पुलिस दल ने समान रूप से दिया । पुलिस दल ने भागने वाले आतंकवादियों का पीछा किया जबकि चारों ओर से आतंकवादी उन पर गोली चला रहे थे । आतंकवादियों की ओर से गोली चलानी बंद होने तक लगभग 1½ किलोमीटर पीछा किया गया । तदन्तर जब एक आतंकवादी ने एक खुले खेत से जाने का दुःसाहस किया तब श्री भाऊ ने उस पर गोलियों की बौछार की। आतंकवादियों द्वारा गोली चलाना बन्द होने पर पुलिस दल द्वारा की गई छानबीन में एक आतंकवादी का शव प्राप्त हुआ जबकि अन्य छाती तक ऊंची फसलों का फायदा उठाकर बच निकले । बाद में मृतक आतंकवादी की पहचान भिखीविन्द के बलदेव सिंह के रूप में की गई।

इस मुठभेड़ में श्री टी० एस० भाऊ, उप निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 12 जुलाई, 1989 से दिया जाएगा।

सं० 22-प्रेज 91-राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री एन० एन० मिश्रा,
कमांडेंट,
33वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 6 अगस्त, 1989 को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 33वीं बटालियन के कमांडेंट श्री एन० एन० मिश्रा को सूचना प्राप्त हुई कि खदूर साहिब के निकट किसी स्थान पर कुछ आतंकवादियों का एक गिरोह छुपा हुआ है । श्री मिश्रा ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल पंजाब पुलिस के कार्मिकों को लेकर एक संयुक्त दल बनाया और खदूर साहिब की ओर चल दिए । खदूर साहिब और आसपास के क्षेत्रों की जांच करने के उपरान्त श्री मिश्रा ने उस क्षेत्र में छोटे-छोटे दलों में भीतर घुसने का निर्णय लिया।

श्री मिश्रा ने खदूर साहिब के सुखचैन सिंह नामक व्यक्ति के फार्म हाउस की जांच करने के लिए अपना वाहन रोका और जैसे ही वे फार्म हाउस की ओर बढ़े उन्होंने कुछ लोगों को वहां से भागते हुए देखे । श्री मिश्रा ने सहायक कमांडेंट को उनका पीछा करने का आदेश दिया तथा 4-5 कार्मिकों सहित वे स्वयं फार्म की ओर दौड़े। जैसे ही वे फार्म हाउस के निकट पहुंचे, तो वहां छिपे हुए आतंकवादियों ने पुलिस दल पर गोलियां चलानी शुरु कर दी। श्री मिश्रा ने तुरन्त अपने साथियों को मोर्चा सम्भालने और आतंकवादियों को व्यस्त रखने का आदेश दिया । श्री मिश्रा स्वचालित हथियारों से रुक-रुक कर चलनेवाली गोलियों की परवाह किए बिना आगे बढ़े और फार्म हाउस पहुंच कर मुख्यद्वार की ओर दौड़े पड़े। आतंकवादियों ने श्री मिश्रा को देखा और उन पर भारी गोलीबारी की और इस कार्रवाई में उनकी जांघ में गहरा घाव हो गया । यद्यपि उनके घावों से बहुत अधिक रक्त बह रहा था फिर भी अपने घावों की चिन्ता किए बिना वह आगे सरके और आतंकवादियों पर गोलियां चलाते रहे । गहरे घाव के कारण वह और आगे न बढ़ सके और गिर गए।

इस बीच कुमुक घटना स्थल पर पहुंच गई । वे फार्म हाउस की छत पर चढ़ गए और छत में छिद्र बनाकर कमरे के अन्दर गोलियां चलाई। यह मुठभेड़ लगभग 5 घंटे तक चली । जब आतंकवादियों की ओर से गोली चलनी बंद हो गयी तो तलाशी लेने पर वहां से तीन आतंकवादियों के शव बरामद हुए। मृतक आतंकवादियों की बाद में लखविंदर सिंह उर्फ लखा, गुरनेज सिंह और बलकार सिंह उर्फ बाली के रूप में पहचान हुई। मुठभेड़ में घायल हुए श्री मिश्रा और अन्य पुलिस कार्मिकों को तुरन्त एस० जी० टी० बी० अस्पताल अमृतसर ले जाया गया।

इस मुठभेड़ में श्री एन० एन० मिश्रा, कमांडेंट ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6 अगस्त, 1989 से दिया जाएगा।

सं० 23-प्रेज/91—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री उषा रंजन देब बर्मा (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल सं० 830360271,
चतुर्थ बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 1 मई, 1988 को करीब सायं 7.00 बजे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की चतुर्थ बटालियन के पोस्ट कमांडर दल कार्मिकों सहित (जिसमें कांस्टेबल ऊषा रंजन देब बर्मा शामिल थे) गश्त और नाका ड्यूटियों के लिए निकले । अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले गांवों का दौरा करने के उपरान्त उन्होंने कोटला रायका गांव के निकट बाबा पुराना बाराज मार्ग पर नाकाबंदी करने का निर्णय लिया। दल ने इस प्रकार से रास्ता बंद किया ताकि नाकाबंदी पर आते ही वाहनों को रफ्तार धीमी करनी पड़े।

बाबा पुरान की ओर से एक स्कूटर चालक को आते देख कर, पोस्ट कमांडर ने स्कूटर चालक को रुकने का संकेत दिया। स्कूटर चालक, जिसके पीछे एक सवारी भी बैठी थी, ने स्कूटर की रफ्तार कम कर के ऐसा संकेत दिया मानो वह स्कूटर रोक रहा हो। जैसे ही पोस्ट कमांडर उसके निकट पहुंचे, उसने सड़क पर अवरोधों के बीच के रास्ते से निकल कर भागने का प्रयास किया । इस पर पोस्ट कमांडर ने कांस्टेबल उषा रंजन देव बर्मा को आदेश दिया कि भाग रहे स्कूटर चालक पर गोली चलाएं । कांस्टेबल बर्मा ने अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना स्कूटर चालक का पीछा किया । उन्होंने भाग रहे आतंकवादी पर अपनी राइफल से चार राउण्ड गोलियां चलाई। इस पर स्कूटर के पीछे बैठे व्यक्ति ने भी अपनी पिस्तौल से गोली चलानी आरम्भ कर दी और एक गोली कांस्टेबल बर्मा के माथे में लगी। इस बीच अन्य पुलिस कार्मिक स्कूटर चालक से जूझे और उसको स्कूटर सहित दबोचने में सफल हो गए, जबकि दूसरा आतंकवादी पुलिस दल द्वारा उस पर गोलियां चलाए जाने के बावजूद भी बचकर भाग गया । कांस्टेबल उषा रंजन देव बर्मा को जिनके माथे में गोली लगने से घाव हो गया था, तुरन्त बाबा पुराना के सिविल अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित किया गया।

इस मुठभेड़ में श्री उषा रंजन देव बर्मा कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 1 मई, 1988 से दिया जायेगा।

नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी 1991

सं० 24-प्रेज/91—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री सर्वजीत सिंह संधू,
सहायक कमांडेंट,
38वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री आर० रमन,
सहायक कमांडेंट,
48वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री पत राम
पुलिस उप-अधीक्षक
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री सी० के० जोनी,
निरीक्षक सं० 671540091,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री सादी राम,
उप निरीक्षक सं० 590082085,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री एल० पी० लामा,
उप निरीक्षक सं० 600170019,
48वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व बल ।

श्री जेलोरा लुसाई,
कांस्टेबल नं० 751310154,
38वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 19 नवम्बर, 1988 को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 38वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट श्री सर्वजीत सिंह संधू के नेतृत्व में पुलिस स्टेशन भिखीविंड के तहत भाई-लालू क्षेत्र में छानबीन और तलाशी लेने के लिए पंजाब पुलिस कार्मिकों सहित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के तीन खोजी दलों को तैनात किया गया । जब अभियान दल खोज कार्य कर रहा था तो केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के सहायक कमांडेंट, श्री आर० रमन के नेतृत्व वाले दल पर भिखीविंड गांव के नजदीक के एक फार्म हाउस से गोलियां चलाई गई । पुलिस दल ने गोलियों का जवाब दिया और श्री आर० रमन, सहायक कमांडेंट ने अपने साथियों को फार्म हाउस से रणनीति पूर्ण घेर लेने के लिए कहा । इस दौरान श्री सर्वजीत सिंह संधु, सहायक कमांडेंट, के नेतृत्व में अन्य पुलिस दल भी सहायता के लिए वहां पहुंच गया । आतंकवादियों ने जब स्वयं को कठिन परिस्थिति में पाया तो गन्ने के खेत में भाग जाने का प्रयास किया । जब आतंकवादी अपने छिपने के स्थानों से निकल कर भाग रहे थे, तो श्री सादी राम, उप निरीक्षक पुलिस सहायक अधीक्षक, तरनतारन, श्री पत राम यादव, पुलिस उप अधीक्षक, निरीक्षक सी० के० जोनी, उप निरीक्षक एल० पी० लामा और कांस्टेबल जैलोरा लुसाई ने आतंकवादियों का पीछा किया और अपने स्वचालित हथियारों से उन पर गोलियां चलाई । लगातार हुई गोलीबारी के दौरान दो आतंकवादी, जो एक सिंचाई की कच्ची नाली में छुपे गए थे, मारे गए । शेष तीन आतंकवादी जो एक पक्की सिंचाई की नाली में मोर्चा सम्भाले हुए थे, गोली चलाते रहे । जहां श्री आर० रमन, सहायक कमांडेंट ने आतंकवादियों को व्यस्त रखा, श्री सर्वजीत सिंह संधू सिंचाई की पक्की नहर के साथ-साथ रेंगते हुए उनके निकट पहुंचे और पोजीशन लेकर आतंकवादियों पर भारी गोली बारी की । कुछ समय पश्चात, आतंकवादियों की ओर से गोली चलनी बंद हो गई । जांच करने पर पता चला कि शेष सभी तीनों आतंकवादी मारे गए थे । मृतकों को बाद में बक्शीश सिंह, गुरदेव सिंह, सुखराज सिंह, सुखविंदर सिंह और परमजीत सिंह के रूप में पहचान की गई ।

इस मुठभेड़ में श्री सर्वजीत सिंह संधू, सहायक कमांडेंट, श्री आर० रमन, सहायक कमांडेंट, श्री पत राम, पुलिस उप-अधीक्षक, श्री सी० के० जोनी निरीक्षक, श्री सादी राम, उप निरीक्षक, श्री एल० पी० लामा, उप-निरीक्षक और श्री जेलोरा लुसाई, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 19 नवम्बर, 1988 से दिया जाएगा ।

ए० के० उपाध्याय,
निदेशक

लोक सभा सचिवालय

(पी० ए० सी० शाखा)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 15 जनवरी 1991

सं० 20/9/1/90-पी० ए० सी०—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की वापसी से संबंधित मामला जांच के लिए लोक लेखा समिति को सौंपा गया है ।

जी० एल० बत्रा,
संयुक्त सचिव

(कृषि समिति शाखा)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 जनवरी 1991

सं० 6/2/एसी 91—अध्यक्ष महोदय ने श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा, संसद सदस्य को श्री राव बीरेन्द्र सिंह के मंत्री नियुक्त होने पर, समिति का सदस्य न रहने के कारण उनके स्थान पर कृषि संबंधी समिति का सदस्य मनोनीत किया है ।

सं० 6/2/ए सी 91—अध्यक्ष महोदय ने श्री बालासाहिब विखे पाटिल संसद सदस्य को श्री राव बीरेन्द्र सिंह के मंत्री नियुक्त होने पर, समिति का सदस्य और सभापति न रहने के कारण, उनके स्थान पर कृषि संबंधी समिति (1990-91) का सभापति नियुक्त किया है ।

एन० राजगोपालन नायर,
उप निदेशक

तकनीकी विकास महानिदेशालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी 1991

संकल्प

सं० इन्ड गेस 9 (2) 89—भारत सरकार ने औद्योगिक गैस विकास नामिका का इस संकल्प के जारी होने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए निम्न प्रकार से पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है :—

1. श्री एन० जी० बसाक, औद्योगिक सलाहकार, त० वि० म० नि० नई दिल्ली। — अध्यक्ष

2. श्री अशोक चन्द्र, मै० सुपिरियर एयर प्रोडक्टस लि०, 803, अंसल भवन कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली, — सदस्य

3. श्री आर० पी० खट्टर, मै० बम्बई आक्सीजन कारपोरेशन लि०, मुलंद (वेस्ट) बम्बई—400080 — सदस्य

4. श्री डी० के० गर्ग मै० इन्टरनेशनल इण्डस्ट्रीज गैसेस लि० अजीमगंज हाउस, तीसरी मंजिल, कामक स्ट्रीट, कलकत्ता—700017 — सदस्य

5. श्री एस० एस० प्रसाद, मै० इंडियन आक्सीजन लि०, आक्सीजन हाउस, 34 तारतल्ला रोड कलकत्ता—700043 — सदस्य

6. श्री पी० किशोर, मै० एसीएटिक आक्सीजन एंड कं० लि०, 8 बी० बी० डी० बाग ईस्ट कलकत्ता। — सदस्य

7. मै० भारत हैवी प्लेट एंड वैसल्स लि० (क्रयो सिस्टम) विशाखापत्तनम का एक प्रतिनिधि। — सदस्य

8. मै० भारत पम्पस एंड कम्प्रैशर्स लि० का एक प्रतिनिधि। नौवीं कन्चनजंगा बिल्डिंग, 18, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली। — सदस्य

9. श्री पी० के० जैन मै० इन्डस्ट्रियल आक्सीजन कं० (प्रा०) लि०, 68, जौली मेकर चैम्बर्स—2, नरीमन प्वाइंट, बम्बई। — सदस्य

10. डा० ए० पी० जैन, नेशनल फिजीकल लेबोरेटरी, नई दिल्ली—110012 — सदस्य

11. मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक नागपुर का एक प्रतिनिधि। — सदस्य

12. श्री एफ० दादाभे, साउथ इण्डिया कार्बोनिक गैस इंडस्ट्री लि०, 827 एम० टी० रोड, ग्रम ब्लाज, मद्रास टी० एन० — सदस्य

13. श्री आर० सी० अग्रवाल, मैसर्स एसियाटिक आक्सीजन लि०, 23—सिपकाट इन्डस्ट्रियल काम्पलेक्स, रानीपेट, 632403 नार्थ अर्कोट डिस्ट०। — सदस्य

14. प्रसीडेंट आल इण्डिया इन्डस्ट्रियल गैस मैन्युफैक्चरस एसोसिएशन, 9—ए, कनाट प्लेस, नई दिल्ली—110001। — सदस्य

15. डी० सी० (एस० एस० आई०), निर्माण भवन, नई दिल्ली का एक नामित व्यक्ति। — सदस्य

16. प्रो० पी० सेनगुप्ता हैड एडवांस्ड सेन्टर आफ क्रायोजनिक रिसर्च जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता—32 — सदस्य

17. डा० पी० एल० भाटिया, मैसर्स उत्तर एयर प्रोडक्ट्स, 573, कातरा ईश्वर भवन, दिल्ली। — सदस्य

18. श्रीमती शशी सोनी। मैसर्स दीप आक्सीजन प्रा० लि०, 1134, 100 फीट रोड, हाल 2 स्टेज, इन्दिरा नगर, बंगलूर—560038। — सदस्य

19. श्री सुरेश गोयल, मै० गोयल गैसेज लि०, एम—136, 2रा तला कनाट सर्कस, नई दिल्ली। — सदस्य

20. श्री राजेन्द्र गर्ग, मैसर्स इण्डस्ट्रियल गैसेज लि०, 15, गणेश चन्द्र एवेन्यू, पो० बा० 8874, कलकत्ता। — सदस्य

21. उप सचिव। उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली। — सदस्य

22. श्री पी० पी० श्रीवास्तव सहायक विकास अधिकारी त वि म नि — सदस्य सचिव

2. नामिका के निर्देश की शर्तें

1. निम्नांकित सूचियों पर रिपोर्टों की विभिन्न सिफारिशों का अध्ययन, कार्यान्वयन तथा मानीटर करना।

(क) गैस उद्योग की स्थिति तथा भविष्य की सम्भावना।

(ख) औद्योगिक गैसों के उपयोग के नए क्षेत्र।

(ग) संयंत्र तथा उपकरणों का तकनीकी उन्नयन जिसमें औद्योगिक गैसों के संचालित करने के लिए वितरण प्रणाली भी सम्मिलित हैं।

(ii) भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं का अनुमान करना जिसमें इसे लागत प्रभावी तथा उर्जा कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य से आधुनिकीकरण जतथा तकनीकी उन्नयन करना भी शामिल हैं।

(iii) गैस उद्योग, विशेषकर अन्य औद्योगिक गैसों तथा उनकी समस्याओं के महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन करना।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को दे दी जाए। यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

मदन मोहन,
निदेशक (प्रशासन)

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी, 1991

संकल्प

सं० 24-1/89-फसल प्रशासन-2-भारत सरकार ने दिनांक 12 अक्तूबर, 1989 के संकल्प संख्या 24-1/89-फसल प्रशासन-2 के द्वारा संगठित भारतीय तम्बाकू विकास परिषद् का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया है । पुनर्गठित परिषद् में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

1. अध्यक्ष — भारत सरकार द्वारा नामजद किया जाने वाला एक गैर-सरकारी व्यक्ति ।

2. उपाध्यक्ष — कृषि आयुक्त, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली

3. सदस्य

क. संसद सदस्य — संसद के तीन सदस्य (दो लोक सभा से तथा एक राज्य सभा से) जो संसदीय कार्य विभाग द्वारा नामजद किए जायेंगे ।

ख. राज्य सरकारों के प्रतिनिधि — निम्नलिखित राज्य सरकारों के कृषि विभाग के सात प्रतिनिधि जो सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा नामजद किए जायेंगे :—

प्रतिनिधियों की संख्या :

1. आंध्र प्रदेश	1
2. बिहार	1
3. गुजरात	2
4. कर्नाटक	1
5. हरियाणा	1
6. मध्य प्रदेश	1

ग. केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि — क. योजना आयोग का एक प्रतिनिधि ।

ख. वाणिज्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ।

ग. संयुक्त सचिव (विस्तार) कृषि और सहकारिता विभाग अथवा उनके द्वारा नामजद व्यक्ति ।

घ. अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड, गुन्टूर

ङ. महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली अथवा उनके द्वारा नामजद व्यक्ति ।

च. परियोजना समन्वयक (तम्बाकू) कृषि संस्थान, आनन्द, गुजरात ।

छ. निदेशक, केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजा मुन्द्री, आंध्र प्रदेश ।

ज. नागरिक आपूर्ति विभाग, एक प्रतिनिधि ।

झ. कृषि और सहकारिता विभाग में तम्बाकू से सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त ।

ञ. अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी तम्बाकू उत्पादक संघ लिमिटेड, आनन्द ।

ट. अध्यक्ष, गैर वर्जीनिया तम्बाकू उत्पादक संघ, गुजरात, आनन्द ।

घ. उत्पादकों के प्रतिनिधि — मुख्य तम्बाकू उत्पादक राज्यों से सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित रूप में नामजद किए जाने वाले आठ उत्पादक प्रतिनिधि :

(प्रतिनिधियों की संख्या)

1. आंध्र प्रदेश	—2
2. बिहार	—1
3. गुजरात	—1
4. कर्नाटक	—1
5. महाराष्ट्र	—1
6. तमिलनाडु	—1
7. पश्चिमी बंगाल	—1

ङ. व्यापार के प्रतिनिधि — व्यापार के तीन प्रतिनिधि जिनकी सिफारिश वाणिज्य मंत्रालय द्वारा की जाएगी ।

च. उद्योग के प्रतिनिधि — उद्योग के तीन प्रतिनिधि जिनकी सिफारिश वाणिज्य मंत्रालय द्वारा की जाएगी ।

छ. अन्य — कार्यकर्ताओं के लिए प्रतिनिधित्व

1. फार्म के कार्य में लगे व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व—एक

2. कारखानों में कार्य कर रहे व्यक्तियों का प्रतिनिधि—एक

ज. ऐसे अतिरिक्त व्यक्ति जो समय-समय पर भारत सरकार द्वारा नामजद किए जाएंगे ।

4. सदस्य सचिव — निदेशक, तम्बाकू विकास निदेशालय, 27, एल्डम्स रोड, मद्रास ।

5. प्रेक्षक — (जो परिषद् के सदस्य नहीं होंगे, बल्कि परिषद् के विचार विमर्श में सहायता करने के लिए आमंत्रित किए जायेंगे) ।

1. अध्यक्ष, राज्य व्यापार निगम अथवा उनका प्रतिनिधि ।

2. वित्तीय सलाहकार, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग ।

3. कृषि विपणन सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि ।

4. अर्थ एवं सांख्यिकीय सहसलाहकार, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली, अथवा उनका प्रतिनिधि ।

5. प्रबन्धक निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, नई दिल्ली ।

6. संयुक्त सचिव (व्यापार), कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली ।

2. परिषद् एक सलाहकार निकाय होगी और इसके निम्नलिखित कार्य होंगे :—

(1) तम्बाकू के सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों पर विचार करना समय-समय पर उनकी प्रगति की समीक्षा करना और तम्बाकू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपायों की सिफारिश करना ।

(2) तम्बाकू के उत्पादन तथा विपणन एवं तम्बाकू उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करना और न मामलों के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देना ।

(3) देशी तथा नियमित मंडियों में तम्बाकू की मांग पर विचार करना और उचित विकास कार्यक्रम के जरिए उपर्युक्त मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देना ।

(4) तम्बाकू के उत्पादन के सम्बन्ध में छोटे तथा सीमांत किसानों की विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना और उन्हें पूरा करने के लिए उचित उपाय करने हेतु सुझाव देना ।

(5) तम्बाकू से सम्बन्धित अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम के बीच समन्वय करना और तम्बाकू की गुणवत्ता तथा उत्पादकता में सुधार लाने की आवश्यकताओं के बारे में सलाह देना, और

(6) आवश्यक समझे जाने वाले अन्य सम्बन्धित मामलों पर समय-समय पर सरकार को सलाह देना ।

3. परिषद् को विशेष मामलों पर विचार करने के लिए स्थायी समिति, तकनीकी समिति और तदर्थ समिति स्थापित करने तथा विशेष प्रयोजनों के लिए आवश्यकतानुसार कृषि विश्वविद्यालयों तथा अन्य विशेष हितों के प्रतिनिधियों जैसे सदस्यों को सहयोजित करने का अधिकार होगा ।

4. परिषद् की बैठक समय-समय पर तम्बाकू उत्पादक क्षेत्रों तथा व्यापार एवं उद्योग के महत्वपूर्ण केन्द्रों में होगी और भारत सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी ।

5. परिषद् तब तक काम करती रहेगी जब तक सरकार के संकल्प द्वारा इसे समाप्त न किया जाता । परिषद के अध्यक्ष तथा अन्य गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल परिषद् में उनके नामित होने की तिथि से तीन वर्ष होगा, बशर्ते भारत सरकार के विशेष आदेश द्वारा इस अवधि को घटाया या बढ़ाया न जाए ।

6. संसद के सदस्यों में से नामित होने वाले परिषद् के सदस्य संसद सदस्य न रहने पर परिषद् के सदस्य नहीं रहेंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

संकल्प

सं० 24-2/89-फसल प्रशासन-2—भारत सरकार ने दिनांक 31 अक्तूबर, 1986 के संकल्प संख्या 24-5/85-फसल प्रशासन-2 के द्वारा गठित भारतीय कपास विकास परिषद् का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है । पुनर्गठित परिषद् में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

1. अध्यक्ष	भारत सरकार द्वारा नामजद किया जाने वाला एक गैर-सरकारी व्यक्ति ।
2. उपाध्यक्ष	कृषि आयुक्त, कृषि मंत्रालय कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली ।
3. सदस्य	
क. संसद सदस्य	संसद के तीन सदस्य (दो लोक सभा से तथा एक राज्य सभा से), जो संसदीय कार्य विभाग द्वारा नामजद किए जायेंगे ।
ख. राज्य सरकारों के प्रतिनिधि	निम्नलिखित राज्य सरकारों के कृषि विभाग का एक-एक प्रतिनिधि, जो सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा नामजद किए जायेंगे :—
	1. आंध्र प्रदेश
	2. गुजरात
	3. हरियाणा
	4. कर्नाटक
	5. मध्य प्रदेश
	6. महाराष्ट्र
	7. पंजाब
	8. राजस्थान
	9. तमिलनाडु
ग. केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि	क. योजना आयोग नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि ।
	ख. संयुक्त सचिव (विस्तार), कृषि और सहकारिता विभाग अथवा उनके द्वारा नामजद व्यक्ति ।
	ग. वस्त्र आयुक्त, वस्त्र विभाग ।
	घ. महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, या उनके द्वारा नामजद व्यक्ति ।
	ङ. कृषि और सहकारिता विभाग में कपास से सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त ।
	च. नागरिक आपूर्ति विभाग का एक प्रतिनिधि ।
घ. उत्पादकों के प्रतिनिधि	मुख्य कपास उत्पादक राज्यों से सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित रूप से नामजद किए जाने वाले 9 उत्पादक प्रतिनिधि :—

	(प्रतिनिधियों की संख्या)
1. आंध्र प्रदेश	एक
2. गुजरात	एक
3. हरियाणा	एक
4. कर्नाटक	एक
5. मध्य प्रदेश	एक
6. महाराष्ट्र	एक
7. पंजाब	एक
8. राजस्थान	एक
9. तमिलनाडु	एक

ङ. व्यापार के प्रतिनिधि :	भारतीय कपास संघ मर्यादित के तीन प्रतिनिधि ।
च. उद्योग के प्रतिनिधि :	भारतीय कपास मिल संघ के तीन प्रतिनिधि ।
छ. ऐसे अतिरिक्त व्यक्ति, जो समय-समय पर भारत सरकार द्वारा नामजद किए जायेंगे ।	
4. सदस्य सचिव	निदेशक, कपास विकास निदेशालय, 14, रामजीभाई कमानी मार्ग, बेलार्ड स्टेट, बम्बई ।
5. प्रेक्षक	(जो परिषद् के सदस्य नहीं होंगे, बल्कि परिषद् के विचार-विमर्श में सहायता करने के लिए आमंत्रित किए जायेंगे) ।
	1. अध्यक्ष, राज्य व्यापार निगम अथवा उनका प्रतिनिधि ।
	2. कृषि विपणन सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि ।
	3. वित्तीय सलाहकार, कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) ।
	4. अर्थ एवं सांख्यिकीय सलाहकार, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली, अथवा उनका प्रतिनिधि ।
	5. वनस्पति रक्षण सलाहकार, भारत सरकार, कृषि और सहकारिता विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि ।
	6. अध्यक्ष, भारतीय कपास निगम अथवा उनका प्रतिनिधि ।
	7. राष्ट्रीय बीज निगम का एक प्रतिनिधि ।
	8. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली ।

2. परिषद् एक सलाहकार निकाय होगी और इसके निम्नलिखित कार्य होंगे :—

(1) कपास के सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों पर विचार करना, समय-समय पर उनकी प्रगति की समीक्षा करना और कपास के उत्पादन को बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करना ।

(2) कपास के उत्पादन तथा विपणन एवं कपास उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करना और इन मामलों के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देना ।

(3) देशी तथा नियमित मंडियों में कपास की मांग पर विचार करना तथा उचित विकास कार्यक्रमों के जरिए उपर्युक्त मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देना ।

(4) कपास के उत्पादन के सम्बन्ध में छोटे तथा सीमांत किसानों की विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना और उन्हें पूरा करने के लिए, उचित उपाय करने हेतु सुझाव देना,

(5) कपास से सम्बन्धित अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम के बीच समन्वय करना और कपास की गुणवत्ता तथा उत्पादकता में सुधार लाने की आवश्यकताओं के बारे में सलाह देना, और

(6) आवश्यक समझे जाने वाले अन्य सम्बन्धित मामलों पर समय समय पर सरकार को सलाह देना ।

3. परिषद् को विशेष मामलों पर विचार करने के लिए स्थायी समिति, तकनीकी समिति और तदर्थ समिति स्थापित करने तथा विशेष प्रयोजनों के लिए आवश्यकतानुसार कृषि विश्वविद्यालयों तथा अन्य विशेष हितों के प्रतिनिधियों जैसे सदस्यों को सहयोजित करने का अधिकार होगा ।

4. परिषद् की बैठक समय-समय पर कपास उत्पादक क्षेत्रों तथा व्यापार एवं उद्योग के महत्वपूर्ण केन्द्रों में होगी और भारत सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी ।

5. परिषद् तब तक काम करती रहेगी जब तक सरकार के संकल्प द्वारा इसे समाप्त न किया जाता । परिषद् के अध्यक्ष तथा अन्य गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल परिषद् में उनके नामित होने की तिथि से तीन वर्ष होगा, बशर्ते भारत सरकार के विशेष आदेश द्वारा इस अवधि को घटाया या बढ़ाया न जाए ।

6. संसद के सदस्यों में से नामित होने वाले परिषद् के सदस्य संसद न रहने पर परिषद् के सदस्य नहीं रहेंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री का कार्यालय, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

के० (राजन),
संयुक्त सचिव

कल्याण मंत्रालय

महिला एवं बाल विकास विभाग

(पी० आर० ई० एम०) अनुसंधान प्रभाग

नई दिल्ली-110002, दिनांक 4 फरवरी 1991

संकल्प

सं० 4-5/89(आर)/पी०आर०ई० (डब्ल्यू सी डी)—इस विभाग के 6 नवम्बर, 1990 के क्रम संख्यांक संकल्प का अतिक्रमण करते हुए महिला और बाल विकास के समाज कल्याण पहलू पर अनुसंधान सलाहकार समिति का, महिला एवं बाल विकास विभाग को निम्नलिखित मामलों में परामर्श देने के लिए एतद्द्वारा पुनर्गठन किया गया है :—

(1) महिलाओं और स्कूल-पूर्व बच्चों, नीति निर्माण, और विकास सम्बन्धी विषयों में अनुसंधान कार्यों का उपयोग करना, समन्वय करना तथा बढ़ावा देना,

(2) अनुसंधान और अध्ययन के क्षेत्रों का पता लगाना और प्राथमिकताएं सुनिश्चित करना ।

(3) वित्तीय सहायता के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रस्तुत किए गए अनुसंधान और अध्ययन का प्रस्तावों पर खर्च तथा उनकी सुव्यवस्था सार्थकता उनकी सहायता और पर्याप्तता तथा,

(4) उपरोक्त विषयों पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के सम्बन्धित कोई अन्य मामले ।

2. समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. सचिव (बा० वि०) महिला एवं बाल विकास विभाग, नई दिल्ली।	अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (बा० वि०) महिला एवं बाल विकास विभाग नई दिल्ली ।	सदस्य
3. संयुक्त सचिव (म० वि०) महिला एवं बाल विकास विभाग, नई दिल्ली ।	सदस्य (पदेन)
4. वित्तीय सलाहकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, नई दिल्ली ।	सदस्य (पदेन)
5. कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली ।	सदस्य (पदेन)
6. निदेशक राष्ट्रीय जनसहयोग एवं बाल विकास संस्थान, (निपसिड), नई दिल्ली ।	सदस्य (पदेन)
7. निदेशक भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ।	सदस्य (पदेन)
8. सलाहकार (समाज कल्याण) योजना आयोग ।	सदस्य (पदेन)
9. डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल (समाज अध्ययन) गृह मंत्रालय ।	सदस्य (पदेन)
10. निदेशक (अनुसंधान) भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् 35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।	सदस्य (पदेन)
11. निदेशक, लेडी इरविन कालेज, नई दिल्ली–2 ।	सदस्य (पदेन)
12. डा० वीना मजुमदार, महिला विकास अध्ययन केन्द्र, नई दिल्ली ।	सदस्य
13. प्रो० एम० जेड० खां, समाज कार्य विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली ।	सदस्य
14. डा० आर० मुरलीधरन, प्राध्यापक, स्कूल-पूर्व शिक्षा विभाग, एन० सी० ई० आर० टी०, नई दिल्ली।	सदस्य
15. डा० एस० के० भार्गव, भूतपूर्व बाल रोग विशेषज्ञ, सफदरजंग अस्पताल, डी–7, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली।	सदस्य
16. डा० (श्रीमती) वी० वीरा राघवन, प्राध्यापक, मनोविज्ञान, दिल्ली विश्वविद्यालय (साउथ कैम्पस) नई दिल्ली ।	सदस्य
17. प्रो० के० एस० शुक्ला, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, आई० पी० इस्टेट, नई दिल्ली ।	सदस्य
18. डा० वी० एन० टंडन, मानवीय पोषण ईकाई, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ।	सदस्य
19. डा० अनीता दीक्षे, निदेशक, अनौपचारिक शिक्षा, जे० एन० यू०, नई दिल्ली ।	सदस्य
20. निदेशक (अनुसंधान), महिला एवं बाल विकास विभाग, नई दिल्ली ।	सदस्य–सचिव (पदेन)

3. समिति के सदस्यों का कार्यकाल 30 जून, 1993 तक होगा । सरकार इस अवधि को बढ़ा या घटा सकती है ।

4. समिति की सदस्यता के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जायेगा। किन्तु सरकारी सदस्य सम्बन्धित विभागों में लागू नियमों के अनुसार इस कार्य के सम्बन्ध में उनके द्वारा की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता इत्यादि प्राप्त करने के हकदार होंगे । समिति के गैरसरकारी सदस्य बैठक में भाग लेने के लिए की गई यात्राओं के लिए भारत सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को देय दरों के समतुल्य यात्रा भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

श्रीमती मीनाक्षी आनन्द चौधरी, संयुक्त सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी 1991

संकल्प

सं० 14/1/89 हिन्दी—भारत सरकार ने जल संसाधन मंत्रालय के लिए हिन्दी सलाहकार समिति पुनर्गठित करने का निर्णय किया है। समिति का गठन, उसके कार्य इत्यादि निम्न प्रकार है :—

गठन

1. जल संसाधन मंत्री [लोक सभा से दो सदस्य	अध्यक्ष
2. श्री विश्वेन्द्र सिंह	सदस्य
3 श्री बालेश्वर यादव [राज्य सभा से दो सदस्य	सदस्य
4. श्री रामनरेश यादव	सदस्य
5. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटिल [संसदीय राजभाषा समिति से दो सदस्य	सदस्य
6. प्रो० एन० तोम्बी सिंह	सदस्य
7. श्री मोहम्मद खलीलुररहमान [सरकारी सदस्य	सदस्य
8. सचिव, जल संसाधन मंत्रालय	सदस्य
9. सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
10. अपर सचिव, जल संसाधन मंत्रालय	सदस्य
11. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
12. अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
13. अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना	सदस्य
14. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, फरीदाबाद	सदस्य
15. निदेशक, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान [शाला, नई दिल्ली ।	सदस्य
16. प्रबन्धक निदेशक, वापकोस, नई दिल्ली ।	सदस्य

17. निदेशक, केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे — सदस्य
18. सचिव, केन्द्रीय सिंचाई एवं शक्ति मण्डल, नई दिल्ली। — सदस्य
19. महाप्रबन्धक, फरक्का बराज परियोजना जिला मुर्शिदाबाद। — सदस्य
20. निदेशक, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रूड़की — सदस्य
21. महाप्रबन्धक, नेशनल प्रोजेक्ट कन्सट्रक्सन कारपोरेशन लि०, नई दिल्ली। — सदस्य
22. महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली। — सदस्य
23. सचिव, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इन्दौर। — सदस्य

अखिल भारतीय हिन्दी संस्थाओं के प्रतिनिधि :

24. श्री आर० एस० गुप्ता, सेवा निवृत्त, मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एवं सलाहकार, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद। — सदस्य

अन्य गैर सरकारी सदस्य

25. प्रो० लक्ष्मी नारायण दुबे, प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, सागर यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश। — सदस्य
26. श्री अक्षयवर यादव, पुराना रामनगर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। — सदस्य
27. डा० वीना श्रीवास्तव, हिन्दी विभाग, एम० एम० कालेज, पटना। — सदस्य
28. श्री राम शंकर एम०, शुक्ल, आचार्य, मालव हिन्दी स्कूल, तहसील : कालोल, जिला पंचमहल, गुजरात। — सदस्य
29. गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा
30. नामित किए
31. जाने हैं।
32. संयुक्त सचिव (प्रशा०), जल संसाधन मंत्रालय। — सदस्य सचिव

2. कार्य

यह समिति सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग और सम्बद्ध मामलों पर जल संसाधन मंत्रालय को सलाह देगी।

3. कार्य-विधि

समिति का कार्यकाल, निम्नलिखित व्यवस्था के अध्यधीन, उसके गठन की तारीख से तीन वर्षों के लिए होगा :—

(क) समिति में नामजद संसद सदस्य उनकी संसद की सदस्यता समाप्त होते ही इस समिति के सदस्य भी नहीं रहेंगे।

(ख) समिति के पदेन सदस्य उस समय तक ही समिति के सदस्य रहेंगे जब तक कि वे उस पद पर रहें जिसके कारण वे समिति के सदस्य बने हैं।

(ग) यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने अथवा त्यागपत्र दे देने के परिणामस्वरूप समिति में कोई रिक्ति हो जाती है तो उनके स्थान पर नियुक्त सदस्य शेष कार्यकाल तक पद धारण करेंगे।

4. सामान्य :

(i) समिति, जैसा आवश्यक समझे, अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित सदस्यों के रूप में नामित कर सकती है और अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है।

(ii) समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होगा और वह किसी अन्य स्थान पर भी बैठकें आयोजित कर सकती है।

5. यात्रा तथा अन्य भत्ते :

गैर-सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की गयी दरों पर यात्रा तथा दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प जनसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अभय प्रकाश, संयुक्त सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 1991

संकल्प

सं. ओ-17034/3/87—लेखन सामग्री (खंड-6) भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यह निश्चित करने के लिए एक अध्ययन किया जाए कि क्या दिनांक 16 अक्तूबर, 1987 के संकल्प संख्या ए-27023/4/85—लेखन सामग्री में दिए गए अनुसार भारत सरकार के लेखन सामग्री कार्यालय के कार्य-कलापों को बंद करने संबंधी आदेश जारी किए जाने के पश्चात् लेखन सामग्री की खरीद में कोई मितव्ययता हुई है। एक अंतरिम उपाय के रूप में दिनांक 16 अक्तूबर, 1987 के उक्त संकल्प के अधीन जारी किए गए आदेशों को रद्द करने और उक्त संकल्प के अधीन आदेश जारी करने से पूर्व लेखन सामग्री की अधिप्राप्ति और वितरण के संबंध में भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय, कलकत्ता तथा नई दिल्ली, बम्बई और मद्रास स्थित इसके तीन क्षेत्रीय लेखन सामग्री डिपुओं द्वारा किए जा रहे कार्य-कलापों को पुनः आरम्भ करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके पश्चात् भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग लेखन सामग्री मदों की अधिप्राप्ति के लिए अपनी आवश्यकताओं संबंधी मांग पत्र भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय, कलकत्ता और इसके तीन क्षेत्रीय लेखन सामग्री डिपु जैसा भी मामला हो, को भेजेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प मानक सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और सभी राज्य सरकारों व संघ शासित क्षेत्र तथा अन्य संगठनों को प्रेषित किया जाए।

आदेश दिया जाता है ताकि उपर्युक्त संकल्प जनसाधारण के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सी. डी. त्रिपाठी, अपर सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 1990

सं० वी०—18011/9/90—आई० एस० एच०आई-I—राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के नियमों और विनियमों के नियम 7 की धारा (ख) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में श्री सी० वी० गरवारे को उनके कार्यभार संभालने की तारीख से तीन वर्ष की और अवधि के लिए नामांकित करती है।

राम तिलक पाण्डेय, उप सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 14th February 1991

No. 25-Pres/91.—The President is pleased to direct that the following amendment shall be made to the clause seventhly appearing under the headings "Param Vishisht Seva Medal "Ati Vishisht Seva Medal" and "Vishisht Seva Medal" of this Secretariat Notification No. 31-Pres/67, dated 27-1-1967 :—

After the words "Reserve Force (when embodied)"

Add "General Reserve Engineer Force".

The 15th February 1991

No. 18-Pres/91.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the under-mentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the officer

Shri Naunihal Singh, (Posthumous)
Canstable No. 791120043,
41 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 11th June, 1989, Incharge Kot Budha Police Post chased two terrorists going on a tractor. At Railway crossing Patti, terrorists opened fire on the police party and the police party returned the fire. The terrorists abandoned the tractor and ran towards Chuslewal village. The cross country route taken by the terrorists indicated that they intended to disappear into thick 50 acre gardens in the west of Patti. A party under the command of Sub-Inspector of 41 Battalion, Central Reserve Police Force (including Constable Naunihal Singh) went in a vehicle to apprehend the terrorists. Enroute Constable Naunihal Singh left the vehicle and joined chasing party on foot to deal with the terrorists. Being PT Instructor, he was soon at the heels of fleeing terrorists. The terrorists kept on retreating under the cover of crops, gardens and farm house by firing on police party. Constable Naunihal Singh without caring for his personal safety neutralised terrorist firing with great determination and thus blocked their escape route. Several times he came under heavy fire, but every time he thwarted their attempt to escape.

In the meantime terrorists entered a Jawar field. While hiding in the field they brought heavy fire on Constable Naunihal Singh. However, he returned the fire, kept on alert vigil and signalled his party to encircle the Jawar fields. Terrorists under the cover of crops hijacked passersby three-wheeler and fled towards village Thakkar Kaura. Constable Naunihal Singh dashed behind the terrorists outpacing his partymen and also opened fire on the three-wheeler. The three-wheeler while negotiating a turn in speed overturned. In the process an AK-47 rifle of one of the terrorists fell underneath the three-wheeler. Two terrorists took positions and fired at Naunihal Singh, who in turn stood like a rock and single handed thwarted every attempt of the terrorists to take out their AK-47 rifle from the three-wheeler.

The terrorists anticipating that re-inforcement will be approaching and Constable Naunihal Singh was determined to face any threat, they retreated into thick built-up area. Shri Naunihal Singh chased them. One terrorist hiding behind a wall fired at Constable and he was injured in the waist. Inspite of injuries, he kept on firing accurately at the terrorists otherwise they could have killed him and took away his rifle. In the meantime reinforcement reached at the spot and Constable Naunihal Singh was rushed to Patti Hospital where he succumbed to his injuries. After injuring Constable Naunihal Singh, the terrorists fled towards Bhikhiwind in a vehicle.

In this encounter Shri Naunihal Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 11th June, 1989.

No. 19-Pres/91.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the under-mentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the officer

Shri Ram Avtar, (Posthumous)
Inspector No. 600101383,
19 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 27th August, 1988, Inspector Ram Avtar was detailed to carry out night checking of all posts of Patti Sector. He alongwith two sections consisting of 15 personnel, in two vehicles left for raid duty. Enroute, they heard sound of gun fire and after confirming the same from the Central Reserve Police Force post at Toot, they left for village Chan Chak by putting off lights of the vehicles. On reaching there they contacted village Nambardar, who informed that 3-4 terrorists were resting in the house of ex-Sarpanch Meja Singh. Inspector Ram Avtar immediately decided to raid the house to apprehend the terrorists.

Inspector Ram Avtar assessed the situation and chalked out a plan of action. He ordered one section to cordon the house and he alongwith Head Constable Rajdeo Singh, Naik Mahabir Singh and Constable C. Yella Naga Raju entered the house from the rear door. On entering the house, they saw four terrorists sitting on cots. Inspector Ram Avtar challenged them to raise their hands and disclose their identities but the terrorists started firing on the police party with automatic weapons in order to make a bid to escape. A burst of bullets hit Shri Ram Avtar on his chest but as he was wearing bullet-proof jacket, the bullets could not hurt him. Shri Ram Avtar immediately fired on the terrorists and killed one of the terrorists on the spot. The remaining terrorists continued firing and another burst hit the upper part of Shri Ram Avtar in the neck, as a result of this he died on the spot.

Head Constable Rajdeo Singh immediately took over charge and he alongwith Shri Mahabir Singh, Naik and Shri C. Yella Nagar Raju, Constable fired on the terrorists, who started running. Shri Rajdeo Singh and Shri C. Yella Naga Raju immediately rushed to the main entrance of the house and Naik Mahavir Singh took position near the rear entrance. One of the terrorists, who tried to run away from the main entrance was shot dead by Shri Rajdeo Singh and Shri C. Yella Naga Raju. Another terrorist who tried to escape from the rear side was shot dead by Naik Mahabir Singh, However, one terrorist managed to escape.

In this encounter Shri Ram Avtar, Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 27th August, 1988.

No. 20-Pres/91.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the under-mentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Names and rank of the officer

Shri Rajdeo Singh,
Head Constable No. 610111933,
19 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri Mahavir Singh,
Naik No. 690512089,
19 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri C. Yella Naga Raju,
Constable No. 850770616,
19 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 27th August, 1988, Inspector Ram Avtar was detailed to carry out night checking of all posts of Patti Sector. He alongwith two sections consisting of 15 personnel in two vehicles left for raid duty. Enroute, they heard sound of gun fire and after confirming the same from the Central Reserve Police Force post at Toot, they left for village Chan Chak by putting off lights of the vehicles. On reaching there they contacted village Nambardar, who informed that 3-4 terrorists were resting in the house of ex-Sarpanch Meja Singh. Inspector Ram Avtar immediately decided to raid the house to apprehend the terriorists.

Inspector Ram Avtar assessed the situation and chalked out a plan of action. He ordered one section to cordon the house and he alongwith Head Constable Rajdeo Singh, Naik Mahavir Singh and Constable C. Yella Naga Raju entered the house from the rear door. On entering the house they saw four terrorists sitting on cots. Inspector Ram Avtar challenged them to raise their hands and disclose their identities but the terrorists started firing on the police party with automatic weapons in order to make a bid to escape. A burst of bullets hit Shri Ram Avtar, Inspector, on his chest but as he was wearing bullet-proof jacket, the bullets could not hurt him. Shri Ram Avtar immediately fired on the terrorists and killed one of the terrorists on the spot. The remaining terrorists continued firing and another burst hit the upper part of Shri Ram Avtar in the neck, as a result of this he died on the spot.

Head Constable Rajdeo Singh immediately took over charge and he alongwith Shri Mahabir Singh, Naik, and Shri C. Yella Naga Raju, Constable, fired on the terrorists, who started running. Shri Rajdeo Singh and Shri C. Yella Naga Raju immediately rushed to the main entrance of the house and Naik Mahavir Singh took position near the rear entrance. One of the terrorists, who tried to run away from the main entrance was shot dead by Shri Rajdeo Singh and Shri C. Yella Naga Raju. Another terrorist who tried to escape from the rear side was shot dead by Naik Mahavir Singh. However, one terrorist managed to escape.

In this encounter Shri Rajdeo Singh, Head Constable, Shri Mahabir Singh, Naik and Shri C. Yella Nagar Raju, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 27th August, 1988.

No. 21-Pres/91.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the under-mentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the officer

Shri T. S. Bhau,
Sub-Inspector No. 625551888,
38 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 12th July, 1989, on checking drive, the party Commander Sub-Inspector, T. S. Bhau suspected some foul play in a farm house located at a lonely place on a road towards Sector Headquarter of Khem-Karan. On investigation, five to six terrorists were noticed moving towards the fields. On being challenged, the suspected persons responded with firing which was equally answered by the police party. The police party chased the fleeing terrorists while firing from the terrorists on them continued from all directions. This chasing continued about 1½ kms till firing from terrorists stopped. Subsequently when one of the terrorists ventured through an open field he was fired upon a volley of shots by Shri Bhau. On the ceasing of the fire from the terrorists, the search made by the police party found one dead body of a terrorist while the others escaped taking advantage of the chest high crops. The dead terrorist was later identified as Beldev Singh of Bhikhiwind.

In this encounter Shri T. S. Bhau, Sub-Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 12th July, 1989.

No. 22-Pres/91.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the under-mentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the officer

Shri N. N. Mishra,
Commandant,
33 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 6th August, 1989, Shri N. N. Mishra, Commandant, 33 Battalion Central Reserve Police Force received information that a gang of terrorists was hiding somewhere near Khadoor Sahib. Shri Mishra led a joint patrol of Central Reserve Police Force/Punjab Police personnel and moved towards Khadoor Sahib. After checking Khadoor Sahib and adjoining areas, Shri Mishra decided to pentrate into areas in small parties.

Shri Mishra stopped his vehicle to check the farm house of one Sukhchain Singh of Khadoor Sahib, as they approached the farm house, few men were seen running away. Shri Mishra ordered the Assistant Commandant to chase them and he alongwith 4-5 personnel dashed towards the farm house. As they reached near the farm house, the terrorists hiding there opened fire on the police party. Shri Mishra immediately ordered his men to take positions and engage the terrorists. Shri Mishra without caring for the intermittent firing from automatic weapons, moved ahead and reached the farm house and rushed towards the main gate. The terrorists spotted Shri Mishra and opened heavy fire on him, in the process he was seriously injured in the thigh. Though he was profusely bleeding, without caring for his injuries, he surged forward and kept on firing on the terrorists. Due to serious injuries, he could not proceed further and fell down.

In the meantime, re-inforcements reached the spot. They climbed on the roof of the farm house and fired inside the rooms by making holes in the roof. The encounter lasted for about 5 hours. When the firing from terrorists side stopped, a search was carried out and 3 dead bodies of terrorists were recovered. The dead terrorists were later identified as Lakhwinder Singh alias Lakha, Gurmaj Singh and Balkar Singh alias Balli, Shri Mishra and other police personnel injured in the encounter were immediately rushed to SGTB Hospital, Amritsar.

In this encounter Shri N. N. Mishra, Commandant displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with it special allowance admissible under rule 5, with effect from the 6th August, 1989.

No. 23-Pres/91.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the under-mentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the officer

Shri Usha Ranjan Deb Barma, (Posthumous)
Constable No. 830360271,
44th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 1st May, 1988, at about 7.00 PM Post Commander of 4th Battalion, Central Reserve Police Force alongwith 10 personnel (including constable Usha Ranjan Deb Barma) set out for patrolling and naka duties. After taking a round of villages under his jurisdiction, he decided to lay a naka near village Kotla Raika on Baghapurana-Tharaj road. The party laid the road block so that the vehicle approaching the naka slowed down.

On seeing a scootrist coming from Baghapurana side, the Post Commander signalled the scootrist to stop. The Scootrist, who had a pillion rider, generated an impression of stopping the scooter by reducing the speed. The moment Post Commander approcahed him, he tried to speedaway from the space in between the road-blocks. On seeing this the Post Commander ordered Constable Usha Ranjan Deb Barma to open fire on the fleeing scootrist. Constable Barma without caring for his personal safety, chased the scootrist. He fired 4 rounds from his Rifle at the fleeing terrorists. On this the pillion rider also started firing from the pistol and one of the bullets hit Constable Barma cn his fore-head. In the meantime other police personnel grappled with the scootrist and was able to catch hold of him alongwith the scooter, whereas the other terrorist escaped despite he was fired upon by the police party. Constable Usha Ranjan Deb Barma, who sustained bullet injuries in his fore-head was immediately rushed to Civil Hospital, Baghapurana where he was declared dead.

In this encounter Shri Usha Ranjan Deb Barma, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 1st May, 1988.

No. 24-Pres/91.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the under-mentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and Rank of the Officers

Shri Sarvjit Singh Sandhu,
Asstt. Comdt.,
38 Battalion,
Central Reserve Police Force

Shri R. Raman,
Asstt. Comdt.,
48 Battalion,
Central Reserve Police Force

Shri Pat Ram,
Dy. Supdt. of Police,
Central Reserve Police Force

Shri C. K. Johny,
Inspector No. 671540091,
Central Reserve Police Force

Shri Sadi Ram
Sub-Inspector No. 590082085,
Central Reserve Police Force

Shri L. P. Lama,
Sub-Inspector No. 600170019,
48 Battalion,
Central Reserve Police Force

Shri Zalora Lusai,
Constable No. 751310154,
38 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 19th November, 1988, three Search Parties of Central Reserve Police Force alongwith Punjab Police personnel were detailed for combing and search operation in the area of Bhai-Ladhu, Police Station, Bhikhiwind under the over-all command of Shri Sarvjit Singh Sandhu, Asstt. Commandant, 38 Battalion, Central Reserve Police Force. While on their operational job, the party headed by Shri R. Raman, Asstt. Commandant, Central Reserve Police Force was fired at from a farm-house near the village Bhikhiwind. The firing was responded by the police party and Shri R. Raman, Asstt. Commandant tactically deployed his men to cordon the farm-house. In the meantime the other police party headed by Shri S. S. Sandhu, Asst. Commandant also reached for assistance. The extremists finding themselves in a difficult situation, tried to enter the sugar-cane field. The terrorists while running out from their hide out were chased and shot at by Shri Sadi Ram, Sub-Inspector, ASP Taran Tarn, Shri Pat Ram Yadav, Dy. Superintendent of Police, Inspector C. K. Johny, Sub-Inspector L. P. Lama and Constable Zalora Lusai fired on the extremists with their automatic weapons. In the continued exchange of firing two extremists who had managed to hide in a Kacha irrigation drain were killed. The remaining 3 extremists who had taken their position inside a pacca irrigation drain kept on firing. While Shri R. Raman, Asstt. Commandant engaged the extremists, Shri S. S. Sandhu, Asstt. Commandant crawled to the near position along the pacca irrigation canal and put heavy firing on the extremists. After sometime the firing from the extremists stopped. On verification it was found that all the remaining 3 extremists had died. The dead extremists were later identified as Bakshish Singh, Gurdev Singh, Sunkraj Singh, Sukhwinder Singh and Paramjit Singh.

In this encounter Shri Saravjit Singh Sandhu, Asstt. Commandant, Shri R. Raman, Asstt. Commandant, Shri Pat Ram, Dy. Superintendent of Police, Shri C. K. Johny, Inspector, Shri Sadi Ram, Sub-Inspector, Shri L. P. Lama, Sub-Inspector and Shri Zalora Lusai, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 19th November, 1988.

A. K. UPADHYAY, Director

LOK SABHA SECRETARIAT

(PAC BRANCH)

New Delhi-110001, the 15th January 1991

No. 20/9/1/90/PAC.—The matter relating to the refund of Central Excise duty has been referred to the Public Accounts Committee for inquiry.

G. L. BATRA, Jt. Secy.

(AGRICULTURE COMMITTEE BRANCH)

New Delhi-110001, the 23rd January 1991

No. 66/3/AC/91.—The Speaker has nominated Shri Dharmesh Prasad Verma, M.P. to be a member of the Committee on Agriculture *vice* Shri Rao Birendra Singh ceased to be a member of the Committee on his appointment as a Minister.

No. 6/3/AC/91.—The Speaker has appointed Shri Balasaheb Vikhe Patil, M.P. as Chairman of the Committee on Agriculture (1990-91) *vice* Shri Rao Birendra Singh ceased to be a member and Chairman of the Committee on his appointment as a Minister.

M. RAJAGOPALAN NAIR, Dy. Director

DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 29th January 1991

RESOLUTION

I. No. Ind. Gas/9(2)/89.—Government of India have decided to re-constitute the Development Panel for Industrial Gases with the following composition for a period of 2 years from the date of issue of this resolution :—

Chairman

1. Sh. N. G. Basak,
Industrial Adviser, DGTD,
New Delhi.

Members

2. Sh. Ashok Chandra,
M/s. Superior Air Products Ltd.,
803, Ansal Bhavan, Kasturba Gandhi
Marg, New Delhi-110 001.

3. Sh. R. P. Khator,
M/s. Bombay Oxygen Corpn. Ltd., Mulund
(W), Bombay-400 080.

4. Sh. D. K. Garg,
M/s. International Industrial Gases Ltd.,
Azimgunj House, 3rd Floor, Camac Street,
Calcutta-700 017.

5. Sh. S. S. Prasad,
M/s. Indian Oxygen Ltd., Oxygen House,
34, Taratala Road,
Calcutta-700 043.

6. Sh. P. Kishore,
M/s. Asiatic Oxygen & Acetylene Co. Ltd.,
8BB D, Bag East,
Calcutta-700 001.

7. A Representative from
M/s. Bharat Heavy Plate & Vessels Ltd.,
(Cryo System),
Visakhapatnam-530 012.

8. A Representative from
M/s. Bharat Pumps & Compressors Ltd.,
9th Kanchanjunga Bldg., 18 Barakhamba Road,
New Delhi.

9. Sh. P. K. Jain,
M/s. Industrial Oxygen Co. (P) Ltd.,
68-Jolly Maker, Chambers-II, Nariman Point,
Bombay.

10. Dr. A. P. Jain,
National Physical Laboratory,
New Delhi-110 012.

11. A Representative from
The Chief Controller of Explosives,
Nagpur.

12. Sh. F. Dadabhoy,
M/s. The South India Carbonic Gas Industries Ltd.,
827-Mt. Road, Dhum Bldg.,
Madras-TN.

13. Sh. R. C. Aggarwal,
M/s. Asiatic Oxygen Ltd., 23-SIPCOT Industrial
Complex, Ranipet,
North Arcot Distt.-632 403 .

14. President,
All India Industrial Gas Manufacturers Association,
9-A, Connaught Place,
New Delhi-110 001.

15. A Nominee of the DCSSI,
Nirman Bhavan, New Delhi.

16. Prof. P. Sengupta,
Head of Advanced Centre of Cryogenic Research,
Jadavpur University,
Calcutta-32.

17. Dr. P. L. Bhatia,
M/s. Uttam Air Products, 573, Katra Ishwar Bhavan,
Delhi.

18. Mrs. Shashi Soni,
M/s. Deep Oxygen Pvt. Ltd., 1134, 100 Feet
Road, Hall II Stage, Indira Nagar,
Bangalore-560 038.

19. Sh. Suresh Goyal,
M/s. Goyal Gases Ltd., M-136, 2nd Floor,
Connaught Circus, New Delhi.

20. Sh. Tejendra Garg,
M/s. Industrial Gases Ltd., 15, Ganesh
Chandra Avenue, Post Box-8874,
Calcutta.

21. Deputy Secretary,
Ministry of Industry, Deptt. of I.D.,
Udyog Bhavan, New Delhi.

Member-Secretary

22. Sh. P. P. Srivastava,
ADO, DGTD.

II. *Terms of reference of the Panel would be* :

to study, implement and monitor various recommendations of the reports on

(a) status and future prospects of gas industry,

(b) new areas of uses of industrial gases,

(c) technology upgradation of plant and equipments including distribution system for handling industrial gases.

(ii) Forecasting future technological needs including modernisation and techonolgy upgradation with a view to making it cost effective and energy efficient.

(iii) To study important aspects of the Gas industry relating to future growth of other industrial gases and their allied problems.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

MADAN MOHAN, Director (Administration)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 23rd January 1991

RESOLUTION

No. 24-1/89-CA.II.—The Government of India has decided to reconstitute the Indian Tobacco Development Council constituted vide Resolution No. 24-1/89-CA.II dated the 12th October, 1989. The reconstituted Council will be composed as follows :—

Chairman

A non-official to be nominated by
Government of India.

Vice-Chairman

Agriculture Commissioner,
Ministry of Agriculture,
Department of Agriculture and
Cooperation, New Delhi.

Members

A. *Members of Parliament*

Three Members of Parliament (two from Lok Sabha and one from Rajya Sabha) to be nominated by the Department of Parliamentary Affairs.

B. *Representatives of State Governments*

7. representatives of the following State Governments in the Department of Agriculture to be nominated by the respective State Governments :

	No. of representatives
(i) Andhra Pradesh	1
(ii) Bihar	1
(iii) Gujarat	2
(iv) Karnataka	1
(v) Haryana	1
(vi) Madhya Pradesh	1

C. *Representatives of Central Government*

(a) One representative of the Planning Commission.

(b) One representative of the Ministry of Commerce.

(c) Joint Secy. (Extn.) Department of Agriculture & Cooperation or his nominee .

(d) Chairman, Tobacco Board, Guntur .

(e) Director General, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi or his nominee.

(f) Project Coordinator (Tobacco), Institute of Agriculture, Anand, Gujarat.

(g) Director, Central Tobacco Research Institute, Rajahmundry, Andhra Pradesh.

(h) One representative of the Department of Civil Supplies.

(i) Joint Commissioner, dealing with Tobacco in the Dapartment of Agriculture & Cooperation.

(j) Chairman, National Cooperative Tobacco Growers Federation Ltd., Anand.

(k) Chairman, Non-virginia Tobacco Growers Federation, Gujarat, Anand.

D. *Representatives of Growers*

Eight Growers' representatives to be nominated by the respective State Governments from the major Tobacco growing States as follows :—

	No. of representatives
(i) Andhra Pradesh	2
(ii) Bihar	1
(iii) Gujarat	1
(iv) Karnataka	1
(v) Maharashtra	1
(vi) Tamil Nadu	1
(vii) West Bengal	1

E. *Representatives of Trade*

Three representatives of Trade to be recommended by the Ministry of Commerce.

F. *Representatives of Industry*

Three representatives of Industry as recommended by the Ministry of Commerce.

G. *Others*

Representation to Workers

(i) Engaged in farms—one

(ii) Engaged in factory—one

H. *Such additional persons as may from time to time be nominated by the Government of India.*

Member-Secretary

The Director,
Directorate of Tabacco Development
27 Eldmas Road, Madras.

Observers

(Who would not be members of the Council but would be invited to assist the Council in its deliberations.)

(i) Chairman, State Trading Corporation or his representative.

(ii) Agriculture Marketing Adviser, Department of Rural Development or his and Cooperation.

(iii) Financial Adviser, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation.

(iv) Economic & Statistical Adviser, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Coopn. New Delhi, or his nominee.

(v) Managing Director, National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited, New Delhi.

(vi) Joint Secretary (Trade), Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, New Delhi.

2. The Council will be an advisory body and will have the following functions :—

(i) To consider development programmes in the Central and State sectors in respect of Tobacco, review progress thereof from time to time and recommend measures for increasing the production of tobacco.

(ii) To consider problems relating to the production and marketing of tobacco and remunerative prices to tobacco growers and advise Government in these matters;

(iii) To consider demands for tobacco in the domestic as well as export markets and advise Government about necessary arrangements for meeting the said demands through suitable development programmes;

(iv) To consider the special needs of small and marginal farmers in respect of tobacco production and suggest suitable measures for meeting the same;

(v) To facilitate coordination between research and development programme relating to tobacco and to advise about the needs for improvement in the quality and productivity of tobacco; and

(vi) To advise Government on such other connected matters as may be considered necessary from time to time.

3. The Council will have the powers to set up Standing Committee, Technical Committee and Ad-hoc Committee to look into specific issues and to coopt members such as representatives of Agricultural Universities and other special interests as and when necessary, for specific purposes.

4. The Council will meet periodically in areas in which tobacco is grown and at important centres of trade and industry and will make recommendations to the Government of India.

5. The Council will continue to function until it is abolished by a Resolution of the Government. The term of the Chairman and other non-official Members of the Council would be three years from the date they are nominated on the Council unless this period is curtailed or extended by a specific order of the Government of India.

6. Those members of the Council who are nominated from among Members of the Parliament will cease to be the Members of the Council as soon as they cease to be Members of Parliament.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administration of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Ministers' Office, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No. 24-2/89-C.A.II.—The Government of India has decided to reconstitute the Indian Cotton Development Council, constituted vide Resolution No.24-5/85-C.A.II dated the 31st October, 1986. The reconstituted Council will be composed as follows :—

Chairman

A non-official to be nominated by the Government of India .

Vice-Chairman

Agriculture Commissioner, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, New Delhi.

Members

A. *Members of Parliament*

Three Members of Parliament (two from Lok Sabha and one from Rajya Sabha) to be nominated by the Department of Parliamentary Affairs.

B. *Representatives of State Governments*

One representative from each of the following State Governments in the Department of Agriculture to be nominated by the respective State Governments :—

(i) Andhra Pradesh
(ii) Gujarat
(iii) Haryana
(iv) Karnataka
(v) Madhya Pradesh
(vi) Maharashtra
(vii) Punjab
(viii) Rajasthan
(ix) Tamil Nadu

C. *Representatives of Central Government*

(a) One representative of the Planning Commission, New Delhi.

(b) Joint Secretary (Extension), Department of Agriculture and Cooperation or his nominee.

(c) Textile Commissioner, Ministry of Textiles.

(d) Director General, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi or his nominee.

(e) Joint Commissioner, dealing with Cotton in the Department of Agriculture and Cooperation.

(f) A representative of the Ministry of Civil Supplies

D. *Representative of Growers*

Nine Growers' representatives to be nominated by the respective State Governments from the major cotton growing States as follows :—

	(No. of representatives)
1. Andhra Pradesh	One
2. Gujarat	One
3. Haryana	One
4. Karnataka	One
5. Madhya Pradesh	One
6. Maharashtra	One
7. Punjab	One
8. Rajasthan	One
9. Tamil Nadu	One

E. *Representatives of Trade*

Three representatives of the Indian Cotton Association Limited.

F. *Representatives of Industry*

Three representatives of the Indian Cotton Mills Federation.

G. Such Additional persons as may from time to time be nominated by the Government of India.

Member-Secretary

The Director,
Directorate of Cotton Development,
14, Ramjibhai Kamani Marg,
Ballard Estate, Bombay

Observers

(Who would not be members of the Council but would be invariably invited to assist the Council in its deliberations)

1. Chairman, State Trading Corporation or his representative.

2. Agricultural Marketing Adviser, Ministry of Rural Development or his representative.

3. Financial Adviser, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation.

4. Economic and Statistical Adviser, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation or his nominee.

5. Plant Protection Adviser, to the Government of India, Department of Agriculture & Cooperation or his nominee.

6. Chairman, Cottone Corporation of India or his nominee.

7. A representative of the National Seeds Corporation.

8. Managing Director, National Cooperative Development Corporation, New Delhi.

2. The Council will be an advisory body and will have the following functions :—

(i) To consider development programme in the Central and State Sectors in respect of cotton, review progress thereof from time to time, and recommend measures for increasing the production of cotton.

(ii) To consider problems relating to the production and marketing of cotton and remunerative prices to cotton growers and advise Government in these matters;

(iii) To consider demands for different varieties of cotton in the domestic as well as export markets and advise Government about necessary arrangements for meeting the said demands through suitable development programmes;

(iv) To consider the special needs of small and marginal farmers in respect of cotton production and suggest suitable measures for meeting the same;

(v) To facilitate coordination between Research and Development Programmes relating to cotton and to advise about the needs for improvement in the quality and productivity of cotton; and

(vi) To advise Government on such other connected matters as may be considered necessary from time time.

3. The Council will have the powers to set up Standing Committee, Technical Committee and ad-hoc Committee to look into specific issues and to coopt members such as representatives of Agricultural Universities and other special interests as and when necessary, for specific purposes.

4. The Council will meet periodically in areas in which cotton is grown and at important centres of trade and industry and will make recommendations to the Government of India.

5. The Council will continue to function until it is abolished by a Resolution of the Government. The term of the Chairman and other non-official members of the Council would be three years from the date they are nominated on the Council unless this period is curtailed or extended by a specific order of the Government of India.

6. Those members of the Council who are nominated from among Members of the Parliament will cease to be the members of the Council as soon as they cease to be Members of Parliament.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resulation be communicated to Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. RAJAN, Jt. Secy.

MINISTRY OF WELFARE

(DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT)

PREM (RESEARCH) DIVISION

New Delhi-110 002, the 4th February 1991

RESOLUTION

No. 4-5/89(R)PREM(WCD)—In supersession of this Department's Resolution of even number dated 6th November, 1990, the Research Advisory Committee on Social Welfare aspect of Child and Women Development is hereby reconstituted to advise the Department of Women and Child Development in regard to :—

(i) Promotion, coordination and utilisation of research in the area of women and Pre-School Children, Policy formulation and development;

(ii) Identification of areas of research study and identification of priorities;

(iii) methodological soundness, importance, adequacy and costs of proposals for research and study submitted to Department of Women & Child Development for financial support; and

(iv) any other matter relating to the promotion of research on the above subjects.

2. The Committee will have the following Members :-

Chairman (Ex-officio)

(1) Secretary (WCD)
Department of Women & Child Development, New Delhi.

Members (Ex-officio)

(2) Joint Secretary (NCD)
Department of Women and Child Development, New Delhi

(3) Joint Secretary (WD),
Department of Women and Child Development, New Delhi.

(4) Financial Advisor,
Department of Women & Child Development, New Delhi

(5) Executive Director,
Central Social Welfare Board,
New Delhi.

(6) Director
National Institute of Public Coop. and Child Development (NIPCCD)
New Delhi.

(7) Director
Indian Council of Medical Research,
New Delhi.

(8) Advisor (Social Welfare)
Planning Commission, New Delhi.

(9) Deputy Registrar General
(Social Studies)
Ministry of Home Affairs, New Delhi.

(10) Director (Research)
Indian Council of Social Science Research
35, Ferozshah Road, New Delhi.

Members

(11) Director,
Lady Irwin College, New Delhi-2.

(12) Dr. (Mrs) Veena Majumdar,
Women's Development Studies,
New Delhi.

(13) Prof. M. Z. Khan,
Department of Social Work,
Jamia Milia Islamia,
New Delhi.

(14) Dr. R. Muralidharan,
Professor,
Department of Pre-School Education,
N.C.E.R.T., New Delhi.

(15) Dr. S. K. Bhargava,
Ex-Chief Paediatrician,
Safdarjung Hospital,
D-7, Gulmohar Park, New Delhi.

(16) Dr. (Mrs.) V. Veera Raghavan
Professor in Psychology,
Delhi University (South Campus),
New Delhi.

(17) Prof. K. S. Shukla,
Deptt. of Public Administration
Indian Institute of Public Administration,
New Delhi.

(18) Dr. B. N. Tandon, Professor
Deptt. of Human Nutrition
All India Institute of Medical Sciences
New Delhi.

(19) Dr. Anita Dighe,
Director,, Non formal Education,
JNU, New Delhi.

Member Secretary
(Ex-officio)

(20) Director (Research)
Department of Women &
Child Development,
New Delhi.

3. The tenure of the Members of the Committee will be upto 30th June, 1993. Government may extend or curtail this period.

4. No remuneration will be paid for the membership of the Committee. The official member will, however, be entitled to draw TA etc. for the journeys undertaken by them in connection with this assignment in accordance with the rules applicable to them in their respective Departments. The non-official members of the Committee will be entitled to claim TA for their journeys to attend meetings as admissible to First Grade Officers of the Government of India.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

Mrs. M. A. CHAUDHRY,
Jt. Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 3rd January 1991

RESOLUTION

No. 14/1/89-Hindi.—The Government of India have decided to reconstitute Hindi Salahakar Samiti for the Ministry of Water Resources. The composition, functions, etc., of the Samiti will be as follows :—

I. COMPOSITION

Members
Chairman

1. Minister of Water Resources

Two Members of Parliament from Lok Sabha

2. Shri Vishvender Singh

3. Shri Baleshwar Yadav

Two Members of Parliament from Rajya Sabha

4. Shri Ram Naresh Yadav

5. Smt. Suryakanta Patil

Two Members of Parliament from Parliamentary Committee on official Language

6. Prof. N. Tombi Singh

7. Shri Mohd. Khalilur Rehaman

Official Members

8. Secretary, Ministry of Water Resources

9. Secretary, Department of Official Language & Hindi Adviser to the Government of India

10. Additional Secretary, Ministry of Water Resources

11. Joint Secretary, Department of Official Language .

12. Chairman, Central Water Commission, New Delhi.

13. Chairman, Ganga Flood Control Commission, Patna.

14. Chairman, Central Ground Water Board, Faridabad.

15. Director, Central Soil & Materials Research Station, New Delhi.

16. Managing Director, Water & Power Consultancy Services (India) Ltd., New Delhi.

17. Director, Central Water & Power Research Station, Pune.

18. Secretary, Central Board of Irrigation & Power, New Delhi.

19. G.M., Farraka Barrage, Farraka, Distt. Murshidabad (WB).

20. Director, National Institute of Hydrology, Roorkee.

21. G.M., National Project Construction Corpn. Ltd., New Delhi.

22. Director General, National Water Development Agency, New Delhi.

23. Secretary, Narmada Control Authority, Indore.

Representatives of All India Hindi Institutions

24. Shri R. S. Gupta, Retired Chief Engineer, C.P.W.D. and Aviser, Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad.

Other Non-official Members

25. Prof. Laxmi Narayan Dubey, Prof. Hindi Vibhag, Sagar University, Madhya Pradesh.

26. Shri Akshayvar Yadav, Old Ramnagar, Varanasi, U.P.

27. Dr. Veena Shrivastava, Hindi Vibhag, M. M. College, Patna.

28. Shri Ram Shankar M. Shukla, Acharya Malav Hindi School, Tehsil Kalol, Distt. Panch Mahal, Gujarat.

29 } To be nominated by the Department of Official
30 } Language, Ministry of Home Affairs.
31.

Member-Secretary

32. Joint Secretary, Ministry of Water Resources.

II. *FUNCTIONS*

The Samiti will advise the Ministry of Water Resources on matters relating to progressive use of Hindi for official purpose and allied issues.

III. *TENURE*

The term of the Samiti will be three years from the date of its constitution provided that :—

(a) a member, who is a Member of Parliament, ceases to be a Member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament.

(b) Ex-Officio members of the Samiti shall continue as members as long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti.

(c) If a vacancy arises in the Samiti due to death or resignation of a member, the member appointed in that capacity shall hold office for the residual term.

IV. *GENERAL*

(i) The Samiti may nominate additional members as co-opted members and invite experts to attend its meetings as may be considered necessary.

(ii) The Headquarter of the Samiti shall be at New Delhi but it may hold its meeting at any other station also.

V. TRAVELLING AND OTHER ALLOWANCES

The non-official members will be paid travelling and daily allowance for attending the meetings of the Samiti at the rates fixed by Government of India from time to time.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affiars, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India and all the Ministries/Departments of Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ABHAY PRAKASH, Jt. Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 27th February 1991

RESOLUTION

No. O-17034/3/87-Sty(Vol. VI).—It has been decided by Government of India to make a study to establish whether there has been any economy in the purchase of stationery after the issue of the orders regarding winding up of the operations of Government of India Stationery Office as contained in the Resolution No. A-27023/4/85-Sty. dated the 16th October, 1987. It has further been decided to revoke the orders issued under the said Resolution dated 16th October, 1987 as an interim measure and to resume the operations of the Government of India Stationery Office, Calcutta and its three Regional Stationery depots at New Delhi, Bombay and Madras relating to procurement and distribution of stationery items as was being done before the issue of the orders under the said Resolution. All the Ministries/Departments of the Government of India will henceforth send the indents of their requirements of stationery items to the Government of India Stationery Office, Calcutta and its three Regional Stationery Depots, as the case may be, for procurement of the stationery items.

ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to all the Ministries/Departments of the Government of India, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, Comptroller and Auditor General of India and all the State Governments and Union Territories and other Organisations as per standard list.

ORDERED that the above Resolution be published in the Gazette of India for general information.

C. D. TRIPATHI, Addl. Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 31st December 1990

No. V-18011/9/90-ISH-I.—In pursuance of clause (b) of Rule 7 of the Rules and Regulations of the National Safety Council, the Central Government hereby nominate Shri C. B. Garware as Chiarman of the Board of Governors of the National Safety Council for a further term of three years, with effect from the date he takes over charge of the post.

R. T. PANDEY, Dy. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1991

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad & Published by the Controller of Publications, Delhi—1991.